फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– चम्पालाल
किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि.

विपक्षी :– लक्ष्मीलाल
पत्रावली संख्या : 86/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 13.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेशकार उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा लूणदामाल पटवार हल्का लूणदा, तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 63 की आराजी नम्बर 71 किता 1 रकबा 1.0500 हेक्टेयर भूमि के चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्रदान करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करगें।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:31:29 IST
Reason: SelfAttested